प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
***दिनाँक 30.10.2026**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने के मामले में 02 अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 6000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 29.10.2026 को मा0 न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

दिनाँक 28.02.2006 को वादी मुकदमा पण्डोही गुप्ता पुत्र हरदेव गुप्ता निवासी बौरब्यास थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्तगण 01. जनार्दन यादव पुत्र विद्या यादव 02. ध्रुप यादव पुत्र अद्या प्रसाद निवासीगण बौरब्यास थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध दिनाँक 20.01.2006 को गाली गलौज व धमकी देते हुए मारने पीटने के सम्बन्ध में थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री विनय कुमार पाठक द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

मु0अ0सं0 005/2006 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना बखिरा से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जुर्मस्वीकार के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व (3000-3000) रुपेय कुल 6000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 174 वाहनों से 3,15,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 30.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 174 वाहनों से 3,15,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 22 किलो 300 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दुधारा *श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्तगण नाम पता 01. अवनीश सिंह उर्फ टोनी पुत्र संतोष सिंह निवासी भरवलिया बाबू थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 02. अविनाश सिंह उर्फ टिंकू पुत्र संतोष सिंह निवासी ग्राम भरवलिया बाबू थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को भरवलिया बाबू नहर पुलिया के पास स्थित मछली फार्म के टिन शेड से 22 किलो 300 ग्राम अवैध गाँजा के साथ आज दिनांक 30.10.2026 को गिरफ्तार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया। *गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 431/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01. अवनीश सिंह उर्फ टोनी पुत्र संतोष सिंह निवासी भरवलिया बाबू थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

02. अविनाश सिंह उर्फ टिंकू पुत्र संतोष सिंह निवासी ग्राम भरवलिया बाबू थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-

01. कुल 22 किलो 300 ग्राम अवैध गाँजा।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-* थानाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह थाना दुधारा, उ0नि0 श्री नंदा प्रसाद, उ0नि0 श्री सतीश कुमार तिवारी, उ0नि0 श्री अभय कुमार पाण्डेय, हे0का0 मोतीलाल यादव, हे0का0 उदयभान यादव, का0 रंजन राजभर।**

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 22 किलो 300 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद द्वारा दी गयी बाईट।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार,

अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की राड व 01 अदद डण्डा बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महुली ***श्री हरेन्द्र पाठक*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 444/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 109(1), 131, 333 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01. फैज खान पुत्र सिराजुद्दीन खान 02. कैफ शेख पुत्र स्व0 इंसान अली निवासीगण वार्ड नं0 03 सूर्यनगर नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 30.10.2026 को कोहड़ गड़ी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर टिकुईकोल मोड़ के पास से घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की राड व 01 अदद डण्डा बरामद किया गया।

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण- वादी द्वारा दिनांक 29.10.2026 को थाना महुली पर उक्त अभियुक्तगण द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिनाँक 28.10.2026 को वादी के लड़के को जान मारने की नीयत से डंडा व सरिया से हमला करके उसे घायल करने के सम्बन्ध में दिया गया। थाना महुली पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01. फैज खान पुत्र सिराजुद्दीन खान निवासी वार्ड नं0 03 सूर्यनगर नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
02. कैफ शेख पुत्र स्व0 इंसान अली निवासी वार्ड नं0 03 सूर्यनगर नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-

- **01 अदद लोहे की राड।**
- **01 अदद डण्डा बरामद।**

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, हे0का0 मोहन चौहान, का0 छोटेलाल कनौजिया, का0 विनोद मौर्या।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या का प्रयास करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री दिलीप कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 401/2026 धारा 352, 109(1) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त शिवप्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 अशर्फी लाल गुप्ता निवासी ग्राम लरबरी थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 30.10.2026 को बेलहसा बगिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 401/2026 मे धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण- वादिनी द्वारा दिनांक 29.10.2026 को थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्त (वादिनी के पति) द्वारा वादिनी को विदा कराने की बात को लेकर गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से वादिनी के पेट में चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। थाना बखिरा पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना बखिरा पुलिस द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
शिवप्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 अशर्फी लाल गुप्ता निवासी ग्राम लरबरी थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर।

बरामदगी-
अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, हे0का0 अनिल सिंह, का0 प्रवेश यादव, का0 आरजू वर्मा, का0 अक्षय सिंह।